रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112022-240405
CG-DL-E-18112022-240405

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 589] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 2022/कार्तिक 27, 1944
No. 589] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2022/KARTIKA 27, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2022

फा. सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./2-एनजीपीएल(08)(1)2022.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम---, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम 2008, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण:

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने या उनका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने या उनका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में, -

(1) विनियम 2 के उप-विनियम 1 में, -

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"(खक) "प्राधिकृत क्षमता" का अर्थ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की प्रारंभिक डिजाइन क्षमता है,जैसा कि जारी किए गए प्राधिकरण पत्र या केन्द्र सरकार प्राधिकरण स्वीकृति पत्र में वर्णन है ।

बशर्ते कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता का निर्धारण) विनियम, 2010) के विनियम 5 के उपविनियम (5) के खंड (छ) के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित कोई संशोधित क्षमता होने की स्थिति में बोर्ड केन्द्रीय सरकार के प्राधिकरण के लिए प्राधिकार या स्वीकृति पत्र प्रदान करने के लिए पत्र में संशोधन जारी किया जाए, और बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसी संशोधित क्षमता को पाइपलाइन की संशोधित प्राधिकृत क्षमता के रूप में माना जाएगा।

(ii) खंड (ज) के उपखंड (i) में , 'मूल प्वाइंटों ' शब्द को " इंजेक्शन " शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) खंड (ज) के उपखंड (ii) में, "शामिल "शब्द को "शामिल " शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) खंड (ज) के उपखंड (ii) में स्पष्टीकरण के अधीन शब्द, "प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ..."से प्रारंभ होकर से प्रारंभ् होने वाले और "में दर्शाया जाएगा" के साथ समाप्त होने वाले शब्द निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किए जाएँगे, अर्थात् :-

"कंपनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्रत्येक इंजेक्शन_प्वाइंट से विभिन्न टैरिफ जोन और उनकी अनुक्रमिक संख्या के बारे में बोर्ड को जानकारी प्रस्तुत करेगी।

(2) विनियम 12 में, -

(i) उपविनियम (1) को हटा दिया जाएगा।

(ii) उप-विनियम (2) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"यदि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव है, तो कंपनी बोर्ड के विचार के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी और बोर्ड सोच विचार करके प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में क्षमता के विस्तार की अनुमति दे सकता है ।

(iii) उप विनियम (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

"उपरोक्त उप-विनियम के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में क्षमता के विस्तार के बारे में प्रावधान उन सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों पर लागू होंगे जो या तो विनियम 4, 18, 19 के तहत बोर्ड द्वारा प्राधिकृत हैं या केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत विनियम 17 के तहत स्वीकार किए गए हैं:

बशर्ते कि बोर्ड वैकल्पिक रूप से ऐसे प्रस्तावित विस्तार के स्थान पर निविदा आमंत्रित कर सकता है, यदि बोर्ड द्वारा यह राय दी जाती है कि निविदाओं का निमंत्रण निम्नलिखित उद्देश्यों में से एक या अधिक को पूरा करेगा, अर्थात्: –

(i) कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना;

(ii) निष्फल निवेश से बचाना;

(iii) समान वितरण करने के लिए आपूर्तियों को बनाए रखना अथवा उन्हे बढ़ाना अथवा देशभर में प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना;

(iv) उचित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ पर प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के संदर्भ में उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना;

(v) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अवसंरचना के द्रुत विकास को प्रेरित करना।

अनिल कुमार गर्ग, संयुक्त सलाहकार (प्रशा.)

[विज्ञापन-III/4/असा./411/2022-23]

पाद टिप्पण: मुख्य विनियम सा.का.नि. 340(अ) दिनांक 06/05/2008 के के माध्यम से अधिसूचित किये गये थे और इनमें एतद्वारा संशोधन किया गया था:

I. सा.का.नि 802 (अ) दिनांक 19.11.2008

II. सा.का.नि 769 (अ) दिनांक 20/10/2009

III. सा.का.नि. 38 (अ) दिनांक 18/01/2010

IV. सा.का.नि. 480 (अ) दिनांक 07/06/2010

V. सा.का.नि. 594 (अ) दिनांक 09/07/2010

VI. फा.सं. पीएनजीआरबी/एम (सी)/48 दिनांक 17.02.2014

VII. फा.सं. पीएनजीआरबी/एनजीपीएल/विनियम/संशोधन-2014 दिनांक 08/08/2014

VIII. फा.सं. एल-विविध/VI/1/2007 दिनांक 01/01/2015

IX. फा.सं.पीएनजीआरबी/एनजीपीएल/रेग्युलेशन//अमेंड-2015 दिनांक 22/05/2015

X. फा.सं..वीकेएस/डीबी/03/एनजीपीएलदिनांक 29/03/2016

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2022

F. No. PNGRB/Auth/2-NGPL(08)/2022.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008, namely:-

1. Short title and commencement:

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008,-

(1) In sub-regulation 1 of Regulation 2, -

(i) After clause (b), the following clause shall be inserted, namely: -

"(ba) "authorized capacity" means the initial design capacity of the natural gas pipeline as provided in the Letter for grant of authorization or letter of acceptance for Central Government authorization.";

Provided that the Board may issue amendment in the Letter for grant of authorization or letter of acceptance for Central Government authorization in case there is any revised capacity approved by the Board in terms of clause (g) of sub regulation (5) of regulation 5 of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining Capacity of Petroleum, Petroleum Products and Natural Gas Pipeline) Regulations, 2010, and such revised capacity approved by the Board shall be considered as the amended authorized capacity of the pipeline.

(ii) In sub-clause (i) of clause (h), the word 'origin', shall be substituted by the word "injection".

(iii) In sub-clause (ii) of clause (h), the word "including", shall be substituted by the word "includes".

(iv) In sub-clause (ii) of clause (h), the words under the explanation, starting with "the point of origin and....." and ending with "……or fixation of the natural gas pipeline tariff by the Board.', the following shall be substituted, namely: -

"the entity shall submit to the Board, information regarding various tariff zones and their sequential numbering in the natural gas pipeline from each point of injection."

(2) In regulation 12, -

(i) Sub-regulation (1) shall be deleted.

(ii) Sub -regulation (2) shall be substituted as follows:

"In case it is proposed to expand the capacity of the natural gas pipeline, the entity shall submit a proposal for consideration of the Board and the Board may allow for expansion of the capacity in the natural gas pipeline"

(iii) Sub regulation (3) shall be substituted as follows;

"The provisions regarding expansion of capacity in natural gas pipeline under the above sub-regulation shall be

applicable to all natural gas pipelines either authorized by the Board under regulation 4, 18, 19 or accepted under regulation 17 as authorized by the Central Government:

Provided that the Board may alternatively invite bids in place of such proposed expansion, if it is opined by the Board that invitation of bids shall serve one or more of the following objectives, namely:-

(i) promoting competition among entities;

(ii) avoiding infructuous investment;

(iii) maintaining or increasing supplies or for securing equitable distribution or ensure adequate availability of natural gas throughout the country;

(iv) protection of customers' interest in terms of availability of natural gas at reasonable natural gas pipeline tariff;

(v) incentivizing rapid development of natural gas pipeline infrastructure."

ANIL KUMAR GARG, Jt. Adviser (Admin)

[ADVT.-III/4/Exty./411/2022-23]

Footnote: Principal regulations were notified vide GSR 340 (E) dated 06/05/2008 and amended vide:

i) GSR 802 (E) dated 19.11.2008

ii) GSR 769 (E) dated 20/10/2009

iii) GSR 38 (E) dated 18/01/2010

iv) GSR 480 (E) dated 07/06/2010

v) GSR 594 (E) dated 09/07/2010

vi) F. No. PNGRB/M (C)/48 dated 17.02.2014

vii) F. No. PNGRB/NGPL/REGULATIONS/AMEND-2014 dated 08/08/2014

viii) F. No. L-MISC/VI/I/2007 dated 01/01/2015

ix) F. No. PNGRB/NGPL/REGULATIONS/AMEND-2015 dated 22/05/2015

x) F. No. VKS/DB/03/NGPL dated 29/03/2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.11.18 22:21:58 +05'30'